पंजीकृत

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन नौएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर-201301

आबंटन ज्ञाप malisk a sh. vijay pralisk B-19 Section - 18

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्ड संख्या ५ ४८ ब्लाक बनाने की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार किया जाता है:-अ. भूखण्ड का अंनतिम क्षेत्रफल

ब. भूखण्ड की मूल आवंटन दर

स. भूखण्ड कोने/चौडे मार्ग पर/पार्क/ हरित पट्टी के सामने होने पर भूमि की मूल आवंटन दर के अतिरिक्त

ड. आवंटित भूखण्ड की कुल अंनतिम आवंटन दर

ई. आवंटित भूखण्ड का अंनतिम प्रीमियम

भूखण्ड के अंनतिम प्रीमियम की 30 प्रतिशत के बराबर अनंतिम आवंटन राशि

जमा पंजीकरण राशि

च. शेष देय अनंतिम आवंटन राशि (पंजीकरण राशि के समायोजन के पश्चात्)

1114 50 वर्ग मीटर रूपये..... प्रति वर्ग मीटर रूपये 125/-रूपये 2605/-प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर

रूपये 3,79,313/-रूपये 1,13,794/-रूपये 63,794

अनंतिम प्रीमियम की बकाया 70 प्रतिशत धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित बराबर किश्तों में आबंटी द्वारा देय होगी। तथा प्रथम किश्त ... 30-6-99... दिनांक को देय है। आबंटन निम्न नियमों तथा शर्तो के अंतर्गत किया गया है:-

- 1. आवंटित भूखण्ड संबन्धित अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर में यदि कोई वृद्धि होती है तब आवंटी समानुपातिक रूप से उपरोक्त भूमि के प्रीमियम हेतु अतिरिक्त भुगतान करेगा।
- यदि भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल उपरोक्त अनंतिम क्षेत्रफल से भिन्न (कम या अधिक) होता है तब आवंटी द्वारा वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रीमियम देय होगा।
- आवंटी को उपरोक्त शेष देय आबंटन राशि का भुगतान संलग्न चालान द्वारा विजया बैंक सैक्टर-19 नौएडा में इस ज्ञाप की तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा करना होगा तथा जमा किये गये चालान की छायाप्रति प्राधिकरण में जमा करायेंगे। यदि उपरोक्त अवधि में आवंटी द्वारा शेष देय आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब बिना किसी अवसर को दिये हुए आबंटित भूखण्ड का आवंटन वापस ले लिया जाएगा। शेष देय आबंटन राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपरोक्त भुगतान के लिए समयवृद्धि प्रदान कर सकते है। यदि समयवृद्धि प्रदान की जाती है तब आवंटी द्वारा 24 प्रतिशत छमाही

निरस्त कर विधिक दस्तावेजों का पर्यावसान/खण्डन कर भूखण्ड/शेड का कब्जा वापस ले तरस्त कर ।पायन क्रिंगा। ऐसी स्थिति में औद्योगिक भूखण्ड/शेड के कुल प्रीमियम/मूल धनराशि का 1 प्रतिशत जब्त कर शेष धन राशि, वापिस कर दी जाएगी। किसी भी नियम एवं शर्तों के निर्वचन विषय में प्राधिकरण का निर्णय आवंटी/पट्टेदार पर

बाध्य हारा। आवंटी/पट्टेदार उ०प्र० औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के प्रावधानों तथा इसके आवटा/पर्वता. अन्तर्गत पारित किये गये नियमों व विनियमों अथवा/एवं निर्देशों का पालन करने को बाध्य

इपरोक्त संदर्भ में प्राधिकरण के अंतर्गत नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी माने

किसी भी विवाद का निपटारा जिला—गौतमबुद्ध नगर के न्यायालय या उच्च न्यायालय,

कृतेः नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

चालान

विधिक प्रलेख के निष्पादन हेतु चैक लिस्ट (कृपया पीछे देखें)

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन नौएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर-201301

प्रतिनिष: रेक्सिम्टर की. 4381/18

दिनांक 31]10/98

आवंटी में श्री श्रीमती क्रि मां प्रमु malik ash vijuy halak B-19, Sectar 18

परियोजना अभियन्ता I/II/III/IV

3. लेखाधिकारी (औद्योगिक)

आवंटी की पत्रावली

सहायक विकास प्रबन्धक